1. निदेशक भू-अभिलेखा, हिमाचल प्रदेश, शिमला-4
2. मंडलायुक्त कांगडा-धर्मशाला,/शिमला-2
3. बन्दोवस्त अधिकारी-कांगडा, धर्मशाला/शिमला-6
4. राजस्व "क" अनुभाग ।

ह.
अवर सचिव (राजस्व)
हिमाचल प्रदेश सरकार

--

संख्या 10-5/73-11
हिमाचल प्रदेश सरकार
राजस्व विभाग

दिनांक 4-9-1980 शिमला-2

सेवा में,

1. हिमाचल प्रदेश के सभी जिलाधीश ।
2. हिमाचल प्रदेश के सभी उप-मण्डलाधिकारी (शिष्ट)
3. हिमाचल प्रदेश में स्थित सभी तहसीलदार।

विषय :- खसरा गिरदावरी में इन्द्राज की तबदीली ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस विभाग के पत्र संख्या राज.2-ए(4)-5/78 दिनांक 15-1-80 तथा 24-4-80 का आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकार ने इस विषय पर गम्भीरता से विचार किया है और इस प्रकार विचार करने के पश्चात यह निर्णय लिया गया है कि इस विभाग के पत्र संख्या 10-7/73 रैव.ए दिनांक, 3-7-75 के अन्तर्गत जारी किये गये आदेशों को पुनः लागू किया जाये । अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जहां गिरदावरी के समय पटवारी के नोटिस में जमीन सम्बन्धी कोई तवदीली आये, वहां पटवारी ऐसी तबदीली को पैन्सील से ही दर्ज करेगा और इस की सूचना गिरदावरी के पश्चात् तहसीलदार व नावत तहसीलदार (यथा स्थिति) को लिखित रूप में देगा । इस के पश्चात् तहसीलदार या नायब तहसीदार इसकी छानबीन करके सम्बन्ध व्यक्तियों को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का पूरा-पूरा अवसर देकर ही करेगा । परन्तु इस सब में तीन माह से अधिक समय नहीं लगाया जायेगा । इसी अवधि में वह सारे मामलों को निर्णय कर डालेगा । निर्णय के अनुसार खसरा गिरदावरी में अमल किया जायेगा ।

भवदीय
ह.
अवर सचिव (राजस्व)
हिमाचल प्रदेश सरकार

Government Instructions regarding creation and maintenance of two pools under H.P. Village Common Lands Vesting and Utilisation Act, 1974

No.10-1/73-Rev.-B-II
Government of Himachal Pradesh
Department of Revenue

From

The Secretary (Revenue) to the
Government of Himachal Pradesh.

To

1. The Divisional Commissioners,
   Kangra at Dharamshala/Mandi/Shimla.
2. All the D.Cs in Himachal Pradesh.
3. The Settlement Officer,
   Kangra at Dharamshala.
4. The Director,
   Land Records, H.P. Shimla-171002.